



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032020-218927
CG-DL-E-26032020-218927

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 26, 2020/चैत्र 6, 1942

No. 172]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2020/CHAITRA 6, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2020

सा.का.नि. 219(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 'हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन' औषधि महामारी COVID-19 के कारण उत्पन्न होने वाली आपातकालीन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है और लोकहित में 'हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन' औषधि और उस पर आधारित निर्मितियों के विक्रय और वितरण को विनियमित और निबंधित करने तथा उनको दुरुपयोग के निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन औषधि युक्त किसी भी निर्मिति की खुदरा बिक्री औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची H1 में निर्दिष्ट दवाओं की बिक्री के लिए शर्तों के अधीन होगी।

2. यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 18-03/2020-DC]

डॉ. मनदीप के. भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th March, 2020

G.S.R. 219(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that the drug ‘Hydroxychloroquine’ is essential to meet the requirements of emergency arising due to pandemic COVID-19 and in the public interest, it is necessary and expedient to regulate and restrict the sale and distribution of the drug ‘Hydroxychloroquine’ and preparation based thereon for preventing their misuse;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 26B of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby directs that sale by retail of any preparation containing the drug Hydroxychloroquine shall be in accordance with the conditions for sale of drugs specified in Schedule H1 to the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

2. This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 18-03/2020-DC]

Dr. MANDEEP K. BHANDARI, Jt. Secy.